फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 69/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/9) **श्री मनोहरसिंह राजपूत व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री धनसिंह सिसोदिया - वकील अपीलार्थी 2. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-1 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2 व 3 4. श्री हीरालाल लौहार - वकील प्रत्यर्थी-4 **अनवान** 1. **श्री मनोहरसिंह पुत्र श्री देवीसिंह राजपूत, निवासी सेठ जी की कुंडाल, बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर।** 2. **श्री सुमेरसिंह पुत्र श्री देवीसिंह राजपूत, निवासी सेठ जी की कुंडाल, बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर।** 3. **श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री किशनसिंह राजपूत, निवासी सेठ जी की कुंडाल, बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर।** 4. **श्री रणजीतसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह राजपूत, निवासी सेठ जी की कुंडाल, बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर।** 5. **श्री भुपेन्द्रसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह राजपूत, निवासी सेठ जी की कुंडाल, बलीचा, तहसील गिर्वा, उदयपुर।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **सचिव, नगर विकास प्रन्यास (वर्तमान में उदयपुर विकास प्राधिकरण), उदयपुर।** 2. **राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर।** 3. **राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा।** 4. **प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक प.12/3(01)राज/परि./हस्ता./09/5184-93 दिनांक 30.06.2015** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 06.08.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर के आदेश क्रमांक प. 12/3(01)राज/परि./हस्ता./09/5184-93 दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त अधिसूचना क्रमांक एफ.6(9)राज-6/96/10 दिनांक 02.06.2009 एवं अधिसूचना क्रमांक प.6(9)राज.6/95पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 अनुसार नगरीय क्षेत्र में स्थित सभी नगरीय भूमियां नगर विकास प्रन्यास एवं नगरपालिकाओं को 40 गुणा पुंजीगत मूल्य पर हस्तांतरण करने के प्रावधान है। उक्त अधिसूचनाओं के क्रम में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांक प. 12/3(01)राज/परि./हस्ता./09/5184-93 दिनांक 30.06.2015 से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 69/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/9) **श्री मनोहरसिंह राजपूत व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नगरीय क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय भूमियां बिलानाम व चारागाह नगर विकास प्रन्यास एवं स्थानीय निकायों को 40 गुना पुंजीगत मूल्य वसूल कर नियमानुसार हस्तांतरण की कार्यवाही अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उक्त हस्तांतरित चारागाह भूमियों के संबंध में स्थानीय निकाय/नगर विकास विभाग जगपालसिंह बनाम पंजाब स्टेट व अन्य में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया। उक्त क्रम में सेठजी की कुण्डाल पटवार हल्का शहर, तहसील गिर्वा की विभिन्न भूमियां नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई।

- उक्त आदेश के क्रम मे आराजी संख्या 610 एवं 1128/610 भूमियां भी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय समक्ष मयाद बाधित पेश की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम, दफा 96 जादी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जादी का पेश किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 01.08.2024 को अधिवक्ता पक्षकारन उपस्थित जिनकी प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों एवं गुणावगुण पर विस्तृत बहस सुनी गई। दौराने कार्यवाही, प्रत्यर्थी-4 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जादी का पेश किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन प्रस्तुत किये गये कि अपीलाधीन आदेश एक रूटिन आदेश होकर अविधिक आदेश है, उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई। मौजा सेठजी की कुण्डाल के साबिक आराजी संख्या 45 रकबा 20 बीघा थे जिसके हाल आराजी संख्या 610 व 1128/610 होकर अपीलार्थीगण अपने बाप-दादाओं के समय से अर्थात आज से लगभग 50 वर्षों से अधिक समय से निरन्तर निर्बाध रूप से आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा एक वाद उप जिला कलक्टर, गिर्वा में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 01.12.2009 को प्रस्तुत किया गया जिस खारिज फरमा दिया गया जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के यहा प्रस्तुत की गई, जिसकें प्रकरण संख्या 234/2010 बउनवानी श्री किशनसिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य व निर्णय दिनांक 29.03.2011 है। उक्त निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि मौके पर अपीलार्थी की ज्वार व मक्की की फसल बिना किसी बाधा व अवरोध के निर्बाध रूप से पैदा करते चले आ रहै। इसके आधार पर नियमन कमेटी के समक्ष कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई व उक्त कुलिया कृषि भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को अंतरित कर दी गई, जबकि उक्त भूमि पर आज भी अपीलार्थीगण का आधिपत्य होकर कृषि कार्य कर रहे है। अभी हाल में प्रत्यर्थी-4 द्वारा उक्त भूमि पर प्रवेश करना चाहा गया जिस पर उनके द्वारा आवंटन होना जाहिर किया। जिस पर प्रत्यर्थी-1 से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा न उक्त आराजीयात के संबंध में कोई पत्रावली उपलब्ध होना व न ही आवंटन होना जाहिर किया गया। उक्त भूमि को अपीलार्थीगण द्वारा आबादान बनाया गया, विकसित किया गया, बिना किस्म परिवर्तन किये गये निर्माण हेतु कानून स्वीकृति नहीं की जा सकती है। उक्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 69/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/9) **श्री मनोहरसिंह राजपूत व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवंटन की जानकारी होने पर प्रत्यर्थी-1 के यहां दिनांक 26.04.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 14.05.2023 को अस्पष्ट जवाब प्राप्त होने पर तहसील से 11.12.2023 को पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 944 की प्रति प्राप्त की गई, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 30.06.2015 की जानकारी हुई और जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर हस्तगत अपील पेश की गई, इसलिए अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई। उक्त आदेश से अपीलार्थी प्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध और प्रभावित है, इसलिए अपील प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के साथ पेश की गई। अंत में अधिक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर के आदेश में अपीलार्थी की आराजी संख्या 610, 1128/610 को बिलानाम सरकार काबिल काश्त अंकित की जाकर अपीलार्थी के नाम नियमन की कार्यवाही फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावें। **प्रत्यर्थी-1 नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में प्रस्तुत किया कि** उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी-4 को आवंटित की गई। मौके पर आवंटी को कब्जा को सूपुर्द कर दिया गया है, मौके पर नियमानुसार निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध नहीं है। इन बिन्दुओं पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। **प्रत्यर्थी-2 व 3 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय पेरोकार ने अपने बहस में प्रस्तुत किया कि** उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रत्यर्थी-4 को आवंटित की गई। मौके पर आवंटी को कब्जा को सूपुर्द कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये, ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अपीलार्थी महज एक अतिक्रमी है, विवादित भूमि कभी भी उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रेकार्ड नहीं रही है। प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध नहीं है। इन बिन्दुओं पर अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। **प्रत्यर्थी-4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे प्रस्तुत किया कि** आराजी संख्या 610 मी. व 1128/610 रकबा 5.2300 भूमि में से 2.9300 हैक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटन पब्लिक हैल्थ कॉलेज की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 18.04.2022 को आवेदन किया जिस पर आदेश दिनांक 20.07.2022 से उक्त भूमि उनको निःशुल्क आवंटन की गई और न्यास द्वारा दिनांक 19.01.2023 को प्रत्यर्थी-1 का कब्जा सुपुर्द किया गया, तब से उक्त भूमि प्रत्यर्थी-4 के कब्जे में है और वर्तमान में निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है। अपीलार्थी महज एक अतिक्रमी है, विवादित भूमि कभी भी उसके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रेकार्ड नहीं रही है। भूमि के आवंटन में अपीलार्थी को कोई हक प्रभावित नहीं हुआ है, न ही उसे कोई नुकसान हुआ है। उक्त अपील मयाद बाधित है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावें। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 69/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/9) **श्री मनोहरसिंह राजपूत व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अंकित कारणों का मनन उपरान्त मात्र नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार अपील की मयाद उपशमित एवं अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अपीलार्थी के हक व अधिकार के संबंध में इस न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में कोई विनिश्चय किया गया है। दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है व प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से पुरी तरह सम्बन्धित है, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफस् को रेकार्ड पर नहीं लिया जा रहा है क्योंकि यह सक्षम स्तर से प्रमाणित नहीं है। इसके अतिरिक्त राजकीय कार्यालय से जारी दस्तावेजों की प्रतियों को अभिलेख पर लिये जाने का आदेश दिया गया है। तद्नुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किये जाते है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त अधिसूचना क्रमांक एफ.6(9)राज-6/96/10 दिनांक 02.06.2009 एवं अधिसूचना क्रमांक प.6(9)राज.6/95पार्ट/39 दिनांक 08.12.2010 अनुसार नगरीय क्षेत्र में स्थित सभी नगरीय भूमियां नगर विकास प्रन्यास एवं नगरपालिकाओं को 40 गुणा पुंजीगत मूल्य पर हस्तांतरण करने के प्रावधान है। उक्त अधिसूचनाओं के क्रम में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आदेश क्रमांक प.12/3(01)राज/परि./हस्ता./09/5184-93 दिनांक 30.06.2015 से नगरीय क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय भूमियां बिलानाम व चारागाह नगर विकास प्रन्यास एवं स्थानीय निकायों को 40 गुना पुंजीगत मूल्य वसूल कर नियमानुसार हस्तांतरण की कार्यवाही अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उक्त हस्तांतरित चारागाह भूमियों के संबंध में स्थानीय निकाय/नगर विकास विभाग जगपालसिंह बनाम पंजाब स्टेट व अन्य में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया। उक्त क्रम में सेठजी की कुण्डाल पटवार हल्का शहर, तहसील गिर्वा की विभिन्न भूमियां नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गई। उक्त आदेश के क्रम मे आराजी संख्या 610 एवं 1128/610 भूमियां भी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम दर्ज किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचनाओं के क्रम में अपीलाधीन आदेश जारी किया गया। राजस्व विभाग की उक्त अधिसूचनाओं को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया है, ऐसे में उक्त सक्षम एवं अखण्डित आदेश के क्रम में की गई कार्यवाहियों की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 69/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/9) **श्री मनोहरसिंह राजपूत व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

चुनौती दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है और न ही उसमें हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है।

इस न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का विधि की रोशनी में सम्यक परीक्षण करने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किए गए है, जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता हो कि विवादित भूमि पर भूमि पर अपीलार्थी का पिछले 50-60 वर्षो से निरन्तर कब्जाकाश्त उपलब्ध हो। बिना नियमित कब्जे के अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया आलोच्य प्रार्थना पत्र बलहीन होना प्रकट होता है। अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश व आवंटन को मात्र कब्जे के बिन्दु के आधार पर निरस्त कराने की प्रार्थना की है। आवंटन को निरस्त कराये जाने बाबत विधि में अलग प्रावधान उपलब्ध है, धारा-75 एलआर एक्ट के तहत उक्त आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। न्यायहित में आवंटन के संबंध में लेख है कि प्रश्नगत आराजी पर पिछले 50-60 वर्षो से निरन्तर कब्जे के तौर पर किसी प्रकार की साक्ष्य अपीलार्थी ने पेश नहीं की है। आर.आर.टी-2009(1) पेज-220, आर.आर.टी.-2009(2) पेज-1299 में यह अभिमत प्रकट किया गया है कि "land in possession of Tresspasser can not be treated as occupied land" और हमारा विनम्र मत है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के बावजुद उक्त भूमि को अनाधिवासित भूमि माना जाना चाहिए और हमारे इस मत की पुष्टि उक्त न्यायिक दृष्टांत करते है। हम यहां अंकित करना चाहते है कि अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जो यह प्रकट करता है कि आवंटित आराजी कभी उनके या उनके परिवार के अन्य सदस्य के नाम रही हो और न ही राजस्व अभिलेख से यह प्रकट होता है। उपरोक्त तथ्य अपीलार्थी की राजकीय भूमि पर अवैध कब्जे की मशा का प्रकट करता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की स्थिति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-5(44) के अनुसार महज एक अतिक्रमी की है, जिससे कोई वैधानिक अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नहीं होते है। आर.बी.जे. 2017 पेज 167 में प्रकट किये गये अभिमत "Illegal possession on Govt. Agricultural Land is no possession in the eye by Law" से भी हम पूर्णतया सहमत है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी-4 आवंटी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा मिथ्या कथनों के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन प्राप्त किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ना ही आवंटन उपरान्त आंवटी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना किया जाना प्रमाणित होता है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा यहा राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2011 का हवाला दिया जा रहा है। उक्त आदेश की अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि पर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का नाजायज कब्जा माना है औ यह अंकित किया है कि अपीलार्थी को धारा-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वाद अपील के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। यह अंकन करते हुए राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील को खारिज कर दिया और अपीलार्थी को सक्षम स्तर पर नियमन एवं आवंटन हेतु चाराजोही हेतु लिखा गया। पत्रावलियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदारी घोषणा का वाद व अपील खारिज हो चुकी है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमन और आवंटन हेतु आदेश दिनांक 29.03.2011 के उपरान्त कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा कोई साक्ष्य न तो पत्रावली पर उपलब्ध है, न ही पेश किया गया। यहा लेख किया जाना अपेक्षित है कि समक्ष आदेशों के अनुसार में जिला कलक्टर द्वारा उक्त भूमियां नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 69/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/9) **श्री मनोहरसिंह राजपूत व अन्य बनाम नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हस्तातंरित कर दी गई, तत्पश्चात नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2022 को प्रत्यर्थी-4 को पब्लिक हैल्थ कॉलेज हेतु निःशुल्क आवंटन कर दी गई। राजस्व विभाग की अधिसूचनाएं, नगर विकास विभाग, उदयपुर द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 18.04.2022 एवं आंवटन आदेश दिनांक 20.07.2022 अखण्डित है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा अपील मेंमों के अंकित कथन एवं बहस में प्रस्तुत आक्षेप बलहीन एवं सारहीन है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2015 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

(सी.आर.देवासी, R.A.S.)
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर